संख्या-101/2017/2292/22-2-2016-17(125)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 13 फरवरी, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री सूर्यनरायन उपाध्याय, निवासी जनपद-भदोही (ज्ञानपुर) की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44238-43/प्रोबेशन-3/2016 (एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री सूर्यनरायन उपाध्याय, ग्राम-बर्जी, थाना-गोपीगंज, जनपद-भदोही (ज्ञानपुर) का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को सायं लगभग 03:00 बजे ठेकेदारी के विवाद/रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से सूर्य नरायण व शेषमणि एवं देवी दूबे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एएफटीसी न0-।, ज्ञानपुर, भदोही के आदेश दिनांक 24-04-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2005 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.11.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी की आयु-56 वर्ष 04 माह है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 05 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये है तथा 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को सायं लगभग 03:00 बजे ठेकेदारी के विवाद/रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से सूर्य नरायण व शेषमणि एवं देवी दूबे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राजेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री सूर्यनरायन उपाध्याय, निवासी जनपद-भदोही को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-20432(एम0/बी0)/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश्वर उपाध्याय (बन्दी संख्या-46626) पुत्र श्री सूर्यनरायण उपाध्याय, निवासी जनपद-भदोही के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-101/2017/2292(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-भदोही।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-101/2016/2292@22-2-2016-17(125)/2007

दिनांक 13 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी राजेश्वर उपाध्याय (बन्दी संख्या-46626) पुत्र श्री सूर्यनरायण उपाध्याय, ग्राम-बर्जी, थाना-गोपीगंज, जनपद-भदोही (ज्ञानपुर) का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को सायं लगभग 03:00 बजे ठेकेदारी के विवाद/रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से सूर्य नरायण व शेषमणि एवं देवी दूबे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 02 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एएफटीसी न0-।, ज्ञानपुर, भदोही के आदेश दिनांक 24-04-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-01-2005 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.11.2016 तक 15 वर्ष 04 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी की आयु-56 वर्ष 04 माह है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं, 05 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये है तथा 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में सक्षम होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नही की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 04.04.1999 को सायं लगभग 03:00 बजे ठेकेदारी के विवाद/रंजिश में 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमन्चे से सूर्य नरायण व शेषमणि एवं देवी दूबे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने तथा 02 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राजेश्वर उपाध्याय पुत्र श्री सूर्यनरायन उपाध्याय, निवासी जनपद-भदोही को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in